

has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance".

[No. 7/4/69/-Estt. (A)]

R. C. GUPTA, Under Secy.

कां०प्र० 4664.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 11 के उप-नियम (8) के अश्वीन निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : सरकारी सेवक ऐसे किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं लेगा जिसके हाथ में ऐसे दो अनुशासनिक मामले, जिनमें उसे सहायता देनी है, लम्बित है।

[सं० 7/4/69-स्थापना(क)]

भार० सी० गुप्ता, अवसरसचिव

S.O. 4664.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Under sub-rule (8) of rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the following Note shall be inserted, namely:—

"Note : The Government servant shall not take the assistance of any other Government servant who